

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1651 / 2012 / पाली

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
पाली

...अपीलार्थी

मैसर्स राधिका एन्टरप्राइजेज
मण्डया रोड, पाली

बनाम

... प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक
श्री ओ.पी.दौसाया
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.08.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (कैम्प पाली) (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 34/आरएसटी/पाली/10-11 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-पाली (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान बिकी कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29, 61 एवं 65 के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिए कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.1998 के द्वारा आरोपित कर रु. 1,62,610/- अधिनियम की धारा 65 व धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 3,25,220/- तथा आरोपित ब्याज रु. 98,832/- कुल रु. 5,86,662/- की मांग सृजित करते हुए अपील स्वीकार की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के वर्ष 1995-96 के कर निर्धारण के दौरान पाया गया कि व्यवहारी ने राज्य के बाहर से एक बिल से खरीद किए गए माल को (कलर-केमिकल) की अलग-अलग नगों में विभाजित कर बिल्टियाँ बनवाकर राज्य में रु. 40,65,244/- का माल आयात किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने इस माल का विक्रय केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 3(2) के तहत बिल्टियों का हस्तान्तरण कर विक्रय किया गया। अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधानानुसार कर से छूट प्राप्त की गई। उक्त बिकी को कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 3(बी) की बिकी नहीं मानकर इसे राजस्थान राज्य की स्थानीय बिकी मानते हुए 4 प्रतिशत से करारोपण किया तथा करापवंचन के उद्देश्य से एक ही बिल के अलग-अलग बिल्टी बनाने के कृत्य पर अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर राशि की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश दिनांक 25.03.98 से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग को अपारत किया है। इससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध है इसलिए अपास्तनीय है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को बिना कोई कारण में अंकित किये अपास्त किया है, जो विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात शास्ति आरोपित की थी, जिसे अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपास्त किया है, जिसको किसी भी दृष्टि से विधिक नहीं ठहराया जा सकता है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से ब्याज का आरोपण किया गया था, जिसको बिना किसी आधार के अपास्त किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधि सम्मत बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि Transfer of document of the title to goods जी.आर. व आर आर होते हैं न कि Purchase Invoice। उनका कथन है कि राजस्थान माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2(4) के अनुसार एक बिल से क्य किये गये माल को भिन्न 2 टुकड़ों में बांटकर अलग-अलग जी आर से राज्य में आयातित किया जा सकता है। कथन किया कि जहां तक Splitting of Consignment का सवाल है वह शब्द "Consignment" केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) में इस उल्लेख नहीं है। उनका कथन है कि एक इनवाइस से क्य किये गये माल को अलग-अलग जी आर में बुक कराने पर माल का मूवमेन्ट प्रत्येक जी.आर. के अनुसार स्वतंत्र और एक अलग document of title के रूप में शुरू होता है इसलिए उनका हस्तानान्तरण किया जा सकता है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर से एक क्य बिल से अलग-अलग जी आर के रूप में माल आयात किया गया है और उसी माल की डिलीवरी व्यवहारी द्वारा नहीं ली गई है तथा स्थानीय खरीदारों को जो माल विक्रय किया है वह जी आर पर एन्डोर्समेन्ट करके विक्रय किया गया है और खरीदारों द्वारा ही ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल की डिलीवरी ली गई है, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के अनुसार माल का विक्रय माल के गमनागमन के दौरान किया गया है तथा निर्धारित ई-1 एवं सी फार्म पेश कर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत कर से छूट प्राप्त की गई है, जो विधि सम्मत है।

उन्होंने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के स्पष्टीकरण-1 के उपबन्धों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि कोई व्यवहारी विक्रयकर्ता से ई-1 एवं खरीदार से सी फार्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह केन्द्रीय

अधिनियम की धारा 6(2) के तहत कर से छूट की पात्रता रखता है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य वर्ष 95–96 से पूर्व एवं पश्चात के कर निर्धारण के तथ्य वर्ष 95–96 के कर निर्धारण के समान होने के बावजूद भी व्यवहारी को धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री पर कर से छूट प्रदान नहीं की गई है। उनका कथन है कि माल का गमनागमन पर माल ज्यों ही कैरियर या बैली को सुपुर्द कर जी आर बनवाने से प्रारम्भ हो जाता है और जब तक इस माल की वास्तविक डिलीवरी नहीं ली जाती है तब तक यह माल गमनागमन में ही रहता है और गमनागमन के दौरान माल का बेचान Transfer of document of title to goods जी आर पर एन्डोर्स कर किया जाता है तब तक वह बिक्री केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के अन्तर्गत होती है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड, अपीलाधीन आदेश एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक बिल से माल खरीद कर उसी माल को अलग—अलग नगों मे विभाजित कर माल राज्य के बाहर गुजरात एवं महाराष्ट्र से कलर, केमिकल आयात किया गया है और एक बिल से खरीद कर अलग—अलग नगों की जी आर बनवाकर राज्य में रु. 40,65,244/- का माल आयातित किया है तत्पश्चात केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) में निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर कर से छूट प्राप्त की है, जो स्वीकार्य है अथवा नहीं? कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त प्रकार से की गई बिक्री को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) की बिक्री न मानकर राजस्थान राज्य में स्थानीय बिक्री मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर करारोपण किया है तथा उक्त कर को अदत्त मानकर उस पर ब्याज तथा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रकार की गई बिक्री को कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) की बिक्री नहीं माना है। इसलिए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) को उद्धरित किया जाना समीचीन है:—

"3.A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of inter-state trade or commerce if the sale or purchase-
(a)occasions the movement of goods from one State to another; or
(b)is effected by a transfer of documents of title to the goods during their movement from one state to another.

Explanation 1:- Where goods are delivered to a carrier or other bailee for transmission, the movement of the goods shall, for the purpose of clause (b) be deemed to commence at the time of such delivery and terminate at the time when delivery is taken from such carrier or bailee.



केन्द्रीय अधिनियम की उक्त धारा पठन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के लिए आवश्यक दो शर्तें हैं, जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड बनाम एस.आर.सरकार (1960) 11 एस टी सी 655 के प्रकरण में पारित निर्णय में वर्णन किया है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"The Supreme Court further observed that the sale contemplated by clause (b) is one which is effected by transfer of documents of title to the goods during their movement from one State to another. Where the property in the goods has passed before the movement has commenced, the sale will evidently not fall within clause(b) nor will the sale in which the property in the goods passes after movement from one State to another has ceased, be covered by the clause."

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक बिल से माल खरीदकर अलग-अलग जी.आर. बनाकर गुडस के डिलीवरी Carrier/Bailee को दी गई है। जिसके सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी ने अंकित किया है कि कर निर्धारण में 3 (बी) के विवेचन से तीन महत्वपूर्ण बिन्दु बिकी के लिए उभरकर सामने आते हैं प्रथम, Document of title to goods, द्वितीय Movement of goods एवं तृतीय Delivery of the goods. उक्त तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करने से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के साथ-साथ माल विक्रय अधिनियम, 1930 के उपरोक्त बिन्दुओं पर दिये गये वर्णन निम्न प्रकार है :–

1. "document of title to goods":- include a bill of lading, dock-warrant, warehouse-keeper's certificate, wharfingers, railway receipt, multidodal transport document, warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorising or purporting to authorise, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented;

2- Section 51 duration of transit goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer, until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailee.

3- Section 33 Delivery :- Delivery of goods may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf.

कर निर्धारण अधिकारी ने इनवाइस को document of title माना है परन्तु अपीलार्थी व्यवसाई के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस में भाग लेते हुये निवेदन किया कि गुडस एकट की धारा 2(4) के अंदर document of title को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार



LRS/GRS/RR Document of title है न कि इनवाइस। माल के अन्तर्राज्यीय गमनागमन के दौरान GRS ही Documents of title to good है और यही विधिक स्थिति है। Movement of goods के संबंध में CST की धारा 3(बी) के Explanation के अनुसार :— Where goods are delivered to a carrier or other bailee for transmission the movement of the goods shall, for the purpose of clause (b) be deemed to commence at the time of such delivery and terminate at the time when delivery is taken from such carrier or bailee.

धारा 3(b) के लिये ज्यों ही माल carrier/bailee को सुपुर्द किया जाता है माल का movement start हो जाता है और माल तब तक गमनागमन रहता है जब तक कि इस माल की सुपुर्दगी carrier/bailee से नहीं ली जाती है। इस प्रकरण में व्यवसायी द्वारा माल की ट्रांसपोर्ट कम्पनी से कोई डिलीवरी नहीं ली गई है और स्थानीय ग्राहकों को माल का बेचान बिल्टी एन्डोर्स कर गमनागमन के दौरान किया गया। माल के गमनागमन उस बिन्दु से शुरू होता है जहां से माल carrier को सुपुर्द किया जाता है और वहीं खत्म होता है जहां इस माल की वास्तविक डिलीवरी carrier से ली जाती है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने कर निर्धारण में अर्जुन दास गुप्ता एण्ड ब्रदर्स बनाम कमिश्नर आफ सेल्स टैक्स, न्यू देहली (1980) 45 STC 52 Delhi HC का उल्लेख किया है परन्तु अपीलार्थी व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने इस प्रकरण में तथ्य भिन्न बताये हैं। माननीय देहली हाइकोर्ट के निर्णय के अध्ययन से स्पष्ट है कि अर्जुन गुप्ता जो देहली के बाहर से बिहार एवं बंगाल से कोयला आयातित कर दिल्ली के क्रेताओं को विक्रय करते थे यह प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 1964-65 से संबंधित है उस समय देहली में कोयले का आयातन Essential commodity Act के तहत coal control order 1963 के प्रावधानों के तहत ही आयातित किया जा सकता था, तब आयातकर्ता को आर.आर. सिविल सप्लाई अर्थोरिटि के सामने एन्डोर्समेन्ट के लिये पेश की जाती थी क्योंकि अथोरिटिज की अनुमति के बगैर कोई भी देहली में कोयला आयात नहीं कर सकता था। सिविल अथारिटिज द्वारा आर.आर. को एन्डोर्स करने के पश्चात व्यवसाई द्वारा उन्हें Purchaser को आर.आर. एन्डोर्स की जाती थी और Purchaser ही माल की वास्तविक डिलीवरी रेल्वे को भुगतान कर लेता था। अतः प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से विचाराधीन प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त निर्णय के आधार पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा धारा 6(2) की सेल के संबंध में परिपत्र क्रमांक 1105बी एफ. 11(3)CST/TAX/CCT/97/1563 दिनांक 16.09.1997 एवं परिपत्र क्रमांक 1132 ए सीसीटी एफ. 11(3) CST/TAX/CCT/61 जारी किया गया, जिसमें क्रमशः 10 दिन तथा 30 दिन तक का ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में माल पड़े रहने को ही गमनागमन में माना गया था एवं एक अन्य परिपत्र दिनांक 16.07.1999 को आयुक्त द्वारा जारी किया गया जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि पूर्व में जारी दोनों करनीति परिपत्र कर पालना में दिनांक 16.07.1997

के बाद के प्रकरणों में की जाये एवं व्यवसाई का प्रकरण वर्ष 1995-96 से संबंधित है अतः इस प्रकरण में ये परिपत्र लागू नहीं होता है। परिपत्रों में constructive delivery को आधार बनाया गया था न कि वारतविक डिलीवरी को परन्तु माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने निर्णय सीटीओ ए.ई.-प्रथम कोटा बनाम बोम्बे मशीनरी स्टोर कोटा टैक्स अपडेट 2007(9) टैक्स अवडेट पेज 315 में उपरोक्त दोनों परिपत्रों को अविधिक माना है कोर्ट के निर्णय के बिन्दु 11 के अनुसार :-

This court is of the opinion that the concept of constructive delivery is not at all relevant for the purpose of giving exemption from tax under Section 6(2) of the CST Act. The condition stipulated for giving such exemption from CST are contained in section 6(2) of the Act itself, namely furnishing of declaration prescribed under Section 8(4) of the CST Act and certificate under Rule 12 it Form E-1 and E-2 prescribed under the CST (Registration and Turnover) - Rules, 1956. There is no place of any intendment in taxing statutes; therefore, concept of constructive delivery could not be imputed into the realm of conditions for grant of exemption under Section 6(2) of the CST Act. Explanation 1 to section 3(b) of the CST Act also clearly stipulates that the movement of the goods for the purpose of clause (b) shall be deemed to commence at the time of such delivery of goods to the carrier or the bailee for transmission and terminate at the time when delivery is taken from the carrier or bailee.

व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय (1980) 68 एसटीसी 101 सीटीओ अजमेर बनाम राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के निर्णय की ओर आकर्षित किया जिसमें एक इनवाइस में राजस्थान राज्य के बाहर से आयातित कोल को अलग-अलग जी.आर. में एन्डोर्स किये गये विक्रय को सीएसटी की धारा 3(बी) के तहत बिक्री माना गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एक बिल से क्रय किये गये माल की अलग-अलग नामों में जी.आर. बनाकर आयातित कर गमनागमन के दौरान माल स्वामित्व के दस्तावेज स्थानातंरित धारा 6(2) के अधीन पश्चातवर्ती विक्रय विधिसम्मत है। सीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) में प्रावधान cascading effect of multipal taxation से बचाव के लिये किया गया है। यदि कोई पश्चातवर्ती बिक्री धारा 6(2) की शर्तों को पूर्ण करती है तो उसे कर से छूट प्रदान की जाती है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के उपबन्ध निम्न प्रकार है :-

"6(2) Notwithstanding anything contained in subsection (1) or such section (1A) where a sale of any goods in the course of inter state trade or commerce has either occasioned the movement of such goods from one state to another or has been effected by a transfer of documents of title to such goods during their movement from one state to another, any subsequent sale during such movement effected by a transfer of documents of title to such goods:-

(A) to the government or

(B) To a registered dealer other than the government if the goods are of the description referred to in sub section (3) of section 8,
Shall be exempt from tax under this Act."

उक्त धारा के पठन से स्पष्ट है कि यदि कोई व्यवसायी विक्रयकर्ता से ई-1 एवं खरीदार से सी-फार्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह उक्त धारा के अन्तर्गत कर से छूट की पात्रता रखता है।

हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(बी) के स्पष्टीकरण-1 के उपबन्धों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है, जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट कम्पनी के यहां कई दिनों तक माल पड़ा रहने के कारण गमनागमन की स्थिति को समाप्त होना मान लिया है परन्तु ट्रांसपोर्ट कम्पनी के यहां कई दिनों तक किसी कारण माल पड़ा रह सकता है जब तक इस माल का कैरियर से परिदान (delivery) नहीं ले ली जाती है तब तक माल के गमनागमन की स्थिति समाप्त नहीं होती है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही वर्ष 1995-96 से पूर्व एवं पश्चात के निर्धारण के तथ्य 1996-96 के कर निर्धारण के समान होने के बावजूद प्रत्यर्थी व्यवहारी को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत की गई बिक्री पर कर से छूट प्रदान नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि वर्ष 1995-96 का कर निर्धारण दिनांक 25.03.1998 को पारित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) में पश्चातवर्ती बिक्री को कर से छूट प्रदान की गई है, जिसके लिए आयक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र सीसीटी सरक्यूलर एफ. 11(3)/टैक्स/सीसीटी/97/901 दिनांक 19.07.1999 का अवलम्ब लिया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

S.No. 1113 : CCT Circular F.11(3)/Tax/CCT/97/Pt./901 dated 19.07.1999

Various tarade associations have represented that after the issuance of circular dated 16.09.1997 (S.No. 917), the assessing authorities are re opening the cases even for the period earlier to the issuance of the circular i.e. 16.09.1997. These associations have submitted that as per the then prevalent trade practices, the sales under section 6 (2) of the CST Act were effected even beyond the period of thirty days as restricted by the above referred circular Re opening of such cases exclusively on this account has resulted in adverse impact on trade and causing undue hardship to bonafide transactions. In view of this, request has been made by these associations to give prospective operation to the said circular. This matter has been examined in the Department and it is, hereby, clarified that the above mentioned circular will be applied prospectively.

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि कोई व्यवहारी विक्रयकर्ता से ई-1 एवं खरीदार से सी फार्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत छूट की पात्रता रखता है। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय की अधिनियम की धारा 3(बी) के स्पष्टीकरण प्रथम के उपबन्धों का गलत निर्वचन कर आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपारत करने के अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

उक्त प्रकरण की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 1650/2012/पाली वाणिज्यिक कर अधिकारी, पाली बनाम मैसर्स केडिया एजेन्सीज, पाली निर्णय दिनांक 03.05.2017 में दिये गये निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलतः माननीय कर बोर्ड द्वारा ऐसे प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

२२/४/१८
(मदन लाल मालवीय)
सदस्य